पत्रांक 3/एम– 77/2012 सा० 1836 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 01.02.2013

विषय :– वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करने हेतु विशेष चारित्री अभिलिखित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं० 10570 दिनांक 24.10.07 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्ष की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हो तो उक्त पाँच वर्षों से भी पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय।

2. परन्तु कई मामलों मे पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ नहीं रहती है। इसके फलस्वरूप प्रोन्नति प्रभावित रह जाती है। अतः विभागीय परिपत्र सं० 2108 दिनांक 31.5.2010 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया कि जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित नहीं हो पायी हों और उन्हें अभिलेखित कराया जाना संभव नहीं रह गया हो, वैसे वर्ष के लिए संबंधित सरकारी सेवक के वर्त्तमान पदस्थापन–स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य–कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाणपत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा। प्रमाणपत्र संबंधी यह विकल्प वर्ष 2009–10 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में ही लागू किया गया तथा यह निदेश दिया गया कि ऐसा विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र देते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में संबंधित सरकारी सेवक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन ससमय एवं नियमित रूप से हो।

3. बाद में सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करने हेतु वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क) का निर्धारण विभागीय परिपत्र सं० 922 दिनांक 30.3.11 द्वारा किया गया। उक्त परिपत्र में यह निदेश निर्गत किया गया कि प्रोन्नति हेतु उपयुक्तता के लिए पिछले 5 वर्षों में से 36 माहों की अभ्युक्ति आवश्यक है और शेष वर्षों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि 5 वर्षों में से मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध है और शेष वर्षों में अभ्युक्ति उपलब्ध न हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षों में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

4. उक्त परिपत्र सं० 922 दिनांक 30.3.11 में विशेष चारित्री के प्रावधान को नहीं रखा गया। फलस्वरूप वर्त्तमान नीति के अन्तर्गत 5 वर्षों में से कम–से–कम 3 वर्षों की चारित्री अर्थात् 36 माहों की चारित्री का उपलब्ध होना अनिवार्य हो गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त परिपत्रों के कारण चारित्री आलेखन की स्थिति में सुधार तो अवश्य हुआ है, परन्तु ऐसी स्थिति नहीं आ पायी है जिसमें सभी पदाधिकारियों के सारे वर्षों की चारित्री उपलब्ध हो। इस कारण से बहुत से सरकारी सेवकों की प्रोन्नति चारित्री के अभाव में लम्बित रह जाती है। प्रोन्नति लम्बित रहने से एक ओर सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो दूसरी ओर प्रोन्नति के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना संभव नहीं हो पाता है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि

(i) विभागीय परिपत्र सं० 922 दिनांक 30.3.11 में निहित प्रावधान कि "5 वर्षों में मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध रहने पर ठीक 2 वर्ष के पूर्व की चारित्री पर विचार किया जाय" 30 मार्च 2011 के बाद लिखे गये चारित्रियों पर लागू किया जाय।

(ii) 30 मार्च 2011 के पूर्व के वर्षों के मामले में परिपत्र संख्या 2108 दिनांक 31.5.2010 द्वारा प्रावधानित विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र लिखे जाने की व्यवस्था लागू रहेगी। इसके लिए उक्त परिपत्र सं० 2108 दिनांक 31.5.2010 के कंडिका 4 में वर्णित प्रावधान यथा "प्रमाण पत्र संबंधी उक्त विकल्प वर्ष 2009–2010 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में ही लागू होगा" को वर्ष 2010–2011 तक के लिए भी विस्तारित किया जाता है। वर्ष 2010–2011 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के लिए परिपत्र सं० 2108 दिनांक 31.5.2010 के प्रावधानानुसार विशेष चारित्री प्रमाण पत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा। सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में भी उनके अंतिम पदस्थापना के विभाग के संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा उक्त विशेष प्रमाण–पत्र दिया जा सकेगा।

7. कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाय एवं तदनुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समितियों के समक्ष विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव